(b) whether it is a fact that a large number of notices have been issued to prospective beneficiaries for making contribution before giving any actual benefit to them?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) (i) A marginal embankment on both sides of the river New Adhwara starting from the confluence of the Jamura and the Adhwara to the off take point of the river Khiroi has been completed. The total length of the embankment on either side is 34 miles. The estimated cost of the scheme is Rs. 74.41 lakhs. The area benefited is 1.12 lakh acres.

(ii) Desilting of the Khiroi river has been done and the spoils have been utilized to form marginal levies on both banks for a total length of 34½ miles from Agropatti to Ekmighat in Laherisarai. The estimated cost of the scheme is Rs. 65.01 lakhs and the area benefited is 68,500 acres.

(iii) A scheme for a barrage on the river Adhwara at Sarwara is under preparation by the Bihar Government.

(b) The Government of Bihar is collecting the information from their District officers.

Adhwara Scheme

467. Shrimati Ramdulari Sinha: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of the rivers that form the Adhwara group of rivers;

(b) the salient features of the Adhwara scheme stating the manner in which all the rivers are proposed to be tamed, command area and number of beneficaries;

(c) the cost of the scheme and the economics thereof; and

(d) the rate at which the contribution has to be paid by the beneficiaries?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) The Adhwara group of rivers consists of the following three systems located between the Bagmati and Kamla Balan rivers:

(i) The Adhwara, Jamura, Sikao, Burhnad and Khirohi system;

(ii) The Singhi, Marha, Rato system;

(iii) The Dhaus, Thomane and Darbhange Bagmati system.

(b) The flood control scheme as recommended by the Technical Committee on Flood Control in the Adhwara Group of Rivers, appointed in 1964, comprises;

(i) Construction of an embankment for protecting an area of 98 sq. miles (bounded by Khirohi embankment on the east and the Lashandai on the West) from spills of Lakhandai and Bagmati on the west and the Mohini on the north;

(ii) Protecting an area of 20 sq. miles on the left bank of Mohini north of the area at (i) above, by means of a ring bund, utilising the right Khirohi Embankment and an existing road on the west;

(iii) Protecting an area of 58 sq. miles on the right bank of Burhnad|Dhaus by constructing a regulator-cum-diversion channel connecting Burhand with Jiwach Kamla and providing afflux bunds, etc. on the right bank of the Burhnad.

(iv) Adequate provision for sluices for irrigation and drainage in the above embankments.

Details of the number of beneficiaries from the above scheme are not available.

(c) The approximate cost of the scheme, as worked out by the Com-

mittee is Rs. 3.87 crores which will afford protection to 176 sq. miles at an incidence of cost of Rs. 344 per acre. The cost benefit ratio is 1.80 neraly. However, the economics of the scheme requires to be worked out in detail.

(d) No decision has yet been taken.

सैनिक वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कन्टीन

468. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक वेतन तथा लेखा कार्यालयों में अनेक प्राइवेट केन्टीन अवैध रूप से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी केन्टीन चल रही हैं ; और

(ग) ये केन्टीन किन-किन स्थानों पर चल रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सैनिक लेखा विभाग के किसी भी कार्यालय में गैर कानूनी तरीके से कोई प्राइवेट केन्टीन नहीं चल रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी

469. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1966 को केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या क्रमश : कितनी थी ;

(ख) उनकी विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध किये जाने के परिणामस्वरूप उनकी सेवा की शर्तों तथा अन्य सुविधाओं में क्या अन्तर है ; और

(ग) उन उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति राज्य सरकारों के कर्मचारियों के हितों के संबंध में क्या संरक्षण दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क). सरकारी प्रतिष्ठानों में, ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गये मजदूरों के अलावा काम करने वालों की संख्या 31 मार्च, 1965 को 4,04,600 थी।

(ख) ऊंचे दर्जे के कार्यकारी पदों, वित्तीय सलाहकारों के पदों और सामान्यत : 2,250 रुपये से अधिक वेतन (या कुछ मामलों में 2,500 रुपये से अधिक वेतन) के पदों के सिवाय, जो सरकार द्वारा बनाये और भरे जाते हैं, या जो सरकार की स्वीकृति से बनाये और भरे जाते हैं; बाकी सभी पद सम्बद्ध प्रतिष्ठानों द्वारा बनाये जाते हैं और वे ही प्रतिष्ठान उनपदों के संबंध में सेवा की शर्तें निर्धारित करते हैं। इन स्तरों पर सेवा की शर्तों में अन्तर होने का संबंध उन मंत्रालय से नहीं है जिनसे ये प्रतिष्ठान संबद्ध है, बल्कि इसके कई और कारण होते हैं जैसे उद्योग का स्वरूप, उसका स्थान, निर्माण या विकास की स्थिति और सम्बद्ध उद्योग पर लागू होने वाला वेतन संबंधी निर्णय, यदि कोई हो तो।

(ग) प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्त किये गये राज्य-सरकारों के कर्मचारियों पर सम्बद्ध राज्य-सरकार और प्रतिष्ठान के बीच तय हुई सेवा की शर्तें लागू होती हैं, इनमें आमतौर पर से उस सरकार द्वारा लागू सेवा की शर्तों के संरक्षण की व्यवस्था की जाती है, जिसके अधीन कर्मचारी पहले काम करता हो।

रोटा बस्कुट फैक्टरी, पटियाला

470. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटियाला स्थित मैसर्स रोटा बिस्कुट फैक्टरी का भवन गैर-कानूनी तौर पर बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार के अधिकारियों तथा मंत्रियों और